

पर्यावरण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या : 115
दिनांक : 03 दिसंबर 2019
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मनोज कुमार
क्या माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
(क)	कसाईखानों से होने वाले जलवायु एवं भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे पास क्या प्रावधान हैं;	कसाई खानों से होने वाले प्रदूषण को जल अधिनियम, 1974, वायु अधिनियम 1981 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। गाजीपुर स्थित पशु वध गृह में जलवायु एवं भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए एक Effluent Treatment Plant 1750 के. एल. डी. की क्षमता के साथ कार्य कर रहा है।
(ख)	क्या सरकार ने कभी गाजीपुर कसाईखाने से होने वाले प्रदूषण का आकलन किया है; और	जी हाँ। गाजीपुर स्थित पशु वध गृह में कसाईखानों से होने वाले प्रदूषण के आकलन के लिए एक आनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसका सीधा आकलन डी० पी० सी० सी० व सेन्टल पोलूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा भी किया जाता है।
(ग)	यदि हाँ, तो इस दिनांक में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?	इस युनिट के लिये पूर्वी दिल्ली नगर निगम को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बायोमैथेनेशन प्लांट (biomethanation plant) लगाने के लिये डी० पी० सी० सी० द्वारा आदेश दिया गया है। इस प्लांट के न लगाने के कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर 50,00,000/- रूपय का Environment Damage Compensation लगाया गया है।